## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसूचना

**संख्या—5 न0वि० / गठन—32 / 2020**— 6/3 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सुपौल जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसचना संख्या—4335 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लाग करते हैं :-

| क्रमांक | नगर<br>निकाय<br>का नाम       | सम्मिलित ग्रामों<br>का नाम/थाना<br>संख्या                             | सम्मिलित ग्राम<br>पंचायत का नाम  | नगर निकाय की चौहद्दी<br>(थाना नंo सहित)   | नगर पंचायत की कुल<br>जनसंख्या<br>(वर्ष 2011जनगणना के<br>आधार पर) |
|---------|------------------------------|---|--|---|--|
| 1       | 2                            | 3   | 4  | 5   | 6  |
| 1       | नगर<br>परिषद्<br>त्रिवेणीगंज | बभनगामा—271<br>लतौना<br>अंश—273<br>थलहागढ़िया<br>अंश—269<br>डपरखा—277 | बभनगामा, लतौना<br>उत्तर, थलहागढ़िया<br>दक्षिण एवं डपरखा<br>(पूर्ण भाग) | उत्तर—थलहागढ़िया अंश—269,<br>बरहकुड़वा—278 एवं जागुर—270<br>दक्षिण—लतौना अंश—273,<br>महेशुआ—272 एवं कुसहा—274<br>पूरब—मिरजावा—280,<br>बरहकुड़वा—278, लक्ष्मीनियाँ—276<br>एवं कुशहा—274<br>पश्चिम—महेशुआ—272, जागुर—270<br>एवं बेलहा—263 | 50053  |

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद त्रिवेणीगंज कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के स्यक्तिसचिव।

ज्ञापांक—5 न0वि० / गठन—32 / 2020— ६/३ / न0वि० एवंआ०वि०, पटना, दिनांक— । ५/०२। १८

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के संयुक्त

ज्ञापांक—5 न0वि०/गठन—32/2020— ६/३ /न0वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक—/ २/०३ /१। प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री—सह—मंत्री, नगर विकास एवं आवास

विभाग के आप्त सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / सचिव, के आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-5 न0वि०/गठन-32/2020- ७/३ /न0वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-/১/०১/२/ प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना / निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार,

पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।